मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

<u>आदेश</u>

क्रमांक एफ 9-03/2019/सत्रह/मेडि-3   भोपाल, दिनांक   /   /2019

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर /ग्वालियर/इन्दौर, मध्यप्रदेश
5. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
6. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश

विषय: **राज्य के अंदर स्थित निजी चिकित्सालयों/संस्थाओं को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार की मान्यता वृद्धि हेतु राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 29.06.2019 ।**

....00.....

राज्य के अंदर स्थित निजी चिकित्सालयों/संस्थाओं को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार की मान्यता वृद्धि हेतु दिनांक 29.06.2019 को राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न की गई थीं। जिसमें ऐसे निजी चिकित्सालय जिन्हें शासन द्वारा दिनांक 30.06.2019 तक मान्यता प्रदान की गई थी, परंतु राज्य स्तरीय समिति की उक्त बैठक होने तक उनके द्वारा NABH Accreditation Certificate के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है एवं न ही मान्यता वृद्धि हेतु निर्धारित शुल्क रूपये 25,000/- रोगी कल्याण समिति में जमा भी नहीं किया गया हैं वे निम्नानुसार हैं:-

1. मिरेकल्स हॉस्पिटल जेड 17- ए एम.पी.नगर, जोन -1 नियर विशाल मेगा मार्ट, भोपाल।
2. चित्रकूट नेत्र चिकित्सालय एंड लेजर आई सर्जरी सेन्टर, जबलपुर।
3. ग्लोबल स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, ग्वालियर।

4. नेशनल हॉस्पिटल 703 गोलबाजार, जबलपुर।

5. आशीष हॉस्पिटल नेपियर टाऊन, जबलपुर।

समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार उपरोक्त निजी चिकित्सालयों की मान्यता स्थगित रखी जाती हैं। जानकारी प्राप्त होने पर प्रकरण में विचार किया जायेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय नथानियल)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9-03/2019/सत्रह/मेडि-3 भोपाल, दिनांक 27 / 07 /2019

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 /2 म.प्र.ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.09.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की ओर उनके परिपत्र क्रमांक 1496/1097/2014/नियम/चार, दिनांक 25 अगस्त, 2014 के संदर्भ में अग्रेषित
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र. **(कृपया आदेश वेवसाईट पर अपलोड करावें)** ।
4. संचालक, चिकित्सा सेवाऐं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल ।
6. संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल ।
7. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र ।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र. ।
10. लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल ।
11. संचालक, संबंधित निजी चिकित्सालय ।
की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
12. गार्ड फाईल ।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग